विषय :— हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्य की 1-4-1982 से 31-3-1983 तक की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट— विभागों द्वारा आयोग को प्रस्ताव/मांग पत्र आदि भेजने में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों की अवहेलना करना ।

क्या वित्तायुक्त राजस्व एवं सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपने कार्य की 1982-83 की वार्षिक रिपोर्ट में मुख्यतः निम्नलिखित अवलोचनाएं की हैं :—

(क) विभागों द्वारा सीधी भर्ती के लिए आयोग को निर्धारित फार्म में मांग पत्र ठीक ढंग से भरकर नहीं भेजे गए, जिनको पूर्ण करवाने हेतू विभागों को आयोग द्वारा पुनः लिखना पड़ा, जिसके कारण भर्ती में अनावश्यक विलम्ब हुआ ।

(ख) तदर्थ नियुक्ति के 15 दिनों के अन्दर-2 विभागों द्वारा आयोग को पूर्णरूप से भरे हुए मांग पत्र नहीं भेजे गए जैसा कि सरकारी हिदायतों के अनुसार वांछनीय है तथा तदर्थ नियुक्तियों को आयोग की अनुमति के बिना छः मास से आगे सरकारी अनुदेशों की अवहेलना करके चालू रखा गया।

(ग) विभागों द्वारा पदोन्नति के प्रस्ताव आयोग को सरकारी हिदायतों के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण सूचना के साथ नहीं भेजे गए जिनके निपटान में अनावश्यक विलम्ब हुआ क्योंकि प्रस्तावों को पूरा करवाने हेतू विभागों को आयोग द्वारा बार-बार लिखना पड़ा ।

(घ) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कमी उन्हीं पदों के लिए पाई गई, जिनके लिए तकनीकी शाद अपेक्षित था ।

3. आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 1980-81 में भी लगभग इसी प्रकार की अवलोचनाएं की थी, जिनको सरकार के परिपत्रों क्रमांक 66/55/82-7 जी. एस. 1, दिनांक 1-10-82, सम संख्यक परिपत्र दिनांक 1-10-82 तथा दिनांक 29-4-83 द्वारा आपके ध्यान में लाते हुए औरों के साथ यह अनुरोध किया गया था कि समय-समय पर जारी की गई सरकारी हिदायतों की पालना करते हुए यह सुनिश्चित करें कि पदोन्नति प्रस्ताव पूर्णरूप से आयोग को भेजे जाएं, तदर्थ नियुक्तियों के 15 दिनों के अन्दर-2 पूर्णरूप से भरे हुए मांगपत्र आयोग को भेजे जाएं, तदर्थ नियुक्तियों को छः मास से आगे आयोग की अनुमति के बिना चालू रखा जाए तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित स्थानों के विरुद्ध तकनीकी संस्थानों में प्रवेश करवाएं ताकि तकनीकी सेवाओं में इनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके ।

4. सरकार को खेद है कि बार-बार हिदायतें जारी करने के बावजूद भी इस प्रकार की त्रुटिया आयोग द्वारा सरकार के ध्यान में पुनः लाई गई हैं । अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सरकारी अनुदेशों की उल्लंघना न हो।

5. कृपया इस पत्र की पावती भिजवायें ।

हस्ता/-
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
राजनैतिक एवं सेवाएं विभाग ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अधा क्रमांक 66/16/84-7 जी. एस. I, दिनांक 20-2-1985
पृ० क्रमांक 66/16/84-7 जी. एस. I, दिनांक 20-2-1985

इसकी एक-एक प्रति सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है तथा अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में सरकारी हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए ।

हस्ता/-
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,